

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1038 / 2015 / जोधपुर.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त-सी, जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सनसिटी मेटल्स प्रा० लिमिटेड,  
ई-422, एम.आई.ए. द्वितीय फेज, बासनी, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. एम. मेड़तिया, अधिकृत प्रतिनिधि

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 05 / 09 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 24/सीएसटी/जेयूसी/14-15 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 11.11.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-सी, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007-08 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 05.05.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2007-08 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.08.2009 को पारित किया गया था जिसमें व्यवहारी को आस्थगन योजना के तहत प्राप्त प्रमाण-पत्र के आधार पर कर राशि को जमा कराने से आस्थगित रखने की अधिकारिता प्राप्त थी, उस अनुसार कर निर्धारण के समय कर जमा कराने को आस्थगित करने की गणना करते समय व्यवहारी की सम्पूर्ण आउटपुट कर राशि का आधार लेते हुए लाभ दिया गया था परन्तु बाद में महालेखाकार द्वारा की गई ऑडिट के अनुसार आस्थगन राशि का लाभ शुद्ध देय कर पर ही प्राप्त योग्य होना बताया जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 10.08.2009 के आदेश में अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन आदेश दिनांक 05.05.2014 को पारित कर आस्थगन के लाभ की राशि को घटाते हुए आदेश पारित कर व्यवसायी के


लगातार.....2

विरुद्ध अधिक आस्थगित की गयी राशि मय ब्याज रूपये 20,75,710/- जमा कराने हेतु आदेश दिये गये थे, जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर उक्त अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील इस आधार पर स्वीकार की गयी थी कि पारित आदेश धारा 33 में प्रदत्त निर्धारित अवधि 4 वर्ष के बाद किया गया है, जिसके विरुद्ध यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.08.2009 में आस्थगन राशि का लाभ देने में त्रुटि कारित कर देने से उस आदेश में संशोधन करते हुए जो आदेश पारित किया गया है वह गुणावगुण पर विधिसम्मत आदेश है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 10203/2009 निर्णय दिनांक 24.11.2011 मैसर्स उमा पोलीमर्स बनाम राज्य सरकार में यह निर्णय दिया गया है कि टैक्स पेयबल का अर्थ नेट टैक्स पेयबल ही होता है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नेट टैक्स पेयबल के स्थान पर पूरे आउटपुट टैक्स की राशि को आस्थगित करने का जो निर्णय लिया था वह विधिविरुद्ध था, फलतः संशोधित कर निर्धारण आदेश उचित होने से उसके विरुद्ध पारित अपीलीय आदेश अपास्त योग्य है।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलीय आदेश में अपील स्वीकार करने का एकमात्र कारण यह रहा है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित आदेश दिनांक 05.05.2014 को वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन करते हुए पारित किया गया था जबकि उक्त धारा की उप-धारा (4) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी त्रुटि का सुधार किसी आदेश के पारित करने के 4 वर्ष के भीतर किया जा सकता है जबकि उक्त संशोधन आदेश दिनांक 05.05.2014 को पारित किया गया था वह मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.08.2009 के पारित करने की तिथि के 4 वर्ष और 9 माह बाद पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य घोषित करने योग्य होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश को अपास्त किया है जिसमें कोई अविधिकता नहीं है एवं न ही राजस्व की ओर से इस बिन्दु पर कोई तर्क दिया गया है।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।




लगातार.....3

6. प्रकरण में यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह त्रुटि पायी गयी थी कि वर्ष 2007-08 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.08.2009 में त्रुटिवश आस्थगन योजना का लाभ पूरे आउटपुट टैक्स की राशि पर दे दिया गया है जबकि यह लाभ आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स की राशि घटाने के बाद प्राप्त शुद्ध देय कर के आधार पर ही दिया जाना चाहिये था अतः उनके द्वारा वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.8.2009 को दिनांक 05.05.2014 को संशोधित किया गया है जबकि यह संशोधन आदेश 4 वर्ष अर्थात् 09.08.2013 की अवधि तक ही पारित किया जा सकता था क्योंकि वेट अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (4) में कोई भी संशोधन 4 वर्ष के बाद किया जाना निषेध किया हुआ है। वेट अधिनियम की धारा 33 निम्न प्रकार है :-


**Section 33. Rectification of a mistake. -**

- (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.

**Explanation. -** A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

- (2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.
- (3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.
- (4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified.
- (5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.


लगातार.....4





7. इस प्रकरण में अपीलीय आदेश में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विचार नहीं किया है क्योंकि यह प्रमाणित है कि धारा 33 के तहत संशोधन आदेश दिनांक 05.05.2014, मूल आदेश के पारित होने की तिथि दिनांक 10.08.2009 के 4 वर्ष और 9 माह बाद पारित किया गया है जो अधिनियम की धारा 33(4) के अनुसार अवधि पार होने से पारित ही नहीं किया जा सकता था अतः पारित आदेश अविधिक होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है।

8. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

  
( मदन लाल मालवीय )  
सदस्य

  
( कं. एल.जैन )  
सदस्य